## मरीजों के लिए खून की कमी दूर करने को शहर में जागरुकता पर जोर

# ब्लड बैंक नेटवर्किंग, डिजिटल सिस्टम से दूर होगा रक्त संकट

**रक्तदान-महादान बचाएं अनमोल जान 11**

**रांची, वरीय संवाददाता।** झारखंड में समय-समय पर रक्त की कमी की समस्या गंभीर रूप लेने लगी है। राज्य के बड़े सरकारी अस्पतालों से लेकर जिला अस्पतालों तक में कई बार मरीजों और उनके परिजनों को रक्त के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कई तरह के ब्लड न तो सरकारी ब्लड बैंक और न ही निजी ब्लड बैंक में समय पर उपलब्ध हो पा रहे हैं। समय पर ब्लड उपलब्ध नहीं होने से दुर्घटनाओं, प्रसव, कैंसर, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की यह जान पर बन आती है।

ऐसे में रक्त शिविर लगाने वाली संस्थाएं और ब्लड बैंक के इंचार्ज का मानना है कि रक्त संकट से निपटने के लिए अब अस्थायी नहीं, बल्कि स्थायी समाधान पर काम करने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण समाधान राज्य के सभी ब्लड बैंकों की प्रभावी नेटवर्किंग होनी चाहिए। वर्तमान में कई बार एक जिले के ब्लड बैंक में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रहता है, जबकि दूसरे जिले में मरीज रक्त के लिए परेशान होते हैं। यदि सभी सरकारी और निजी ब्लड बैंकों को एकीकृत डिजिटल नेटवर्क से जोड़ दिया जाए तो किसी भी समय राज्यभर में उपलब्ध रक्त की जानकारी प्राप्त की जा सकती है और जरूरत के अनुसार तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। इससे रक्त की उपलब्धता में संतुलन आएगा और संकट की स्थिति कम होगी।

### ऑनलाइन ब्लड उपलब्धता प्रणाली निभाएगी अहम भूमिका

रक्त संकट के समाधान में ऑनलाइन ब्लड उपलब्धता प्रणाली भी अहम भूमिका निभा सकती है। आज के डिजिटल दौर में मरीजों और उनके परिजनों को यह जानकारी तुरंत मिलनी चाहिए कि किस ब्लड बैंक में कौन–सा रक्त समूह उपलब्ध है। इसके लिए राज्य स्तरीय डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप को अधिक प्रभावी बनाना होगा। रियल टाइम अपडेट की व्यवस्था होने से लोगों का समय बचेगा और आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को शीघ्र रक्त मिल सकेगा।

### निजी अस्पतालों की भागीदारी सीमित

विशेषज्ञों ने बताया कि निजी अस्पतालों की जवाबदेही तय करनी जरूरी है। राज्य के बड़े निजी अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन रक्तदान को बढ़ावा देने में उनकी भागीदारी अपेक्षाकृत सीमित रहती है। स्वास्थ्य विभाग को निजी अस्पतालों को नियमित रक्तदान शिविर आयोजित करने और रक्त प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

### कॉलेजों, बैंकों और उद्योगों को जोड़ने पर बल

शिविर के आयोजनकर्ताओं ने बताया कि रक्त संकट का सबसे प्रभावी और दीर्घकालिक समाधान नियमित स्वैच्छिक रक्तदान है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समाज में नियमित रक्तदान की संस्कृति विकसित हो जाए तो अधिकांश समस्याएं स्वतः समाप्त हो सकती हैं। कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों, बैंकों, उद्योगों और सामाजिक संगठनों को वर्षभर चलने वाले रक्तदान अभियानों से जोड़ना होगा।

# हिन्दुस्तान की पहल से 2 कैंपों में 64 यूनिट रक्त का संग्रह

हिन्दुस्तान ने जागरुकता अभियान चलाया तो शहर में विभिन्न सामाजिक संगठन आगे आने लगे। इसी कड़ी में शनिवार को पुलिस अधिकारियों ने रक्तदान किया।

**हि असर**

**रांची, वरीय संवाददाता।** रक्त की कमी को दूर करने के लिए आपके अपने अखबार 'हिन्दुस्तान' की ओर से चलाए जा रहे जागरुकता अभियान के प्रति लोगों का सकारात्मक रुझान दिख रहा है। शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाएं और संगठन रक्तदान के लिए आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित रक्तदान शिविर में 44 यूनिट रक्त संग्रह किया गया, जिसे रिम्स ब्लड बैंक को उपलब्ध कराया गया।

वहीं, आईएसटीजी रिसर्च फाउंडेशन की ओर से लगे कैंप में 20 यूनिट रक्तदान किया गया। यह सदर अस्पताल को दिया गया। शहर में रक्त की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आगामी दो दिनों में भी कई बड़े रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे।

इनमें प्रेमसंस, कांके रोड तथा नेक्सा, बरियातू में प्रस्तावित शिविर प्रमुख हैं। अभियान के तहत लगातार बढ़ रही भागीदारी से ब्लड बैंकों में रक्त संकट कम होने की उम्मीद जगी है। सामाजिक संगठनों और आम लोगों की सक्रियता जरूरतमंद मरीजों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है।

**शहर 30s**

### होमली एट ब्लिंक में 50% तक की छूट

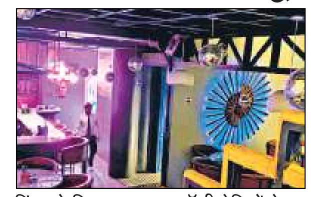

**रांची।** कांके रोड में होमली एट ब्लिंक पब एंड लाउंज ने ग्राहकों के लिए विशेष वीकेंड ऑफर की घोषणा की है। प्रबंधन के अनुसार वीकेंड के दौरान चुनिंदा व्यंजनों और सेवाओं पर 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। इसके अलावा आगंतुकों का स्वागत वेलकम ड्रिंक से किया जाएगा। कॉफी प्रेमियों के लिए बाय वन, गेट वन फ्री ऑफर उपलब्ध है। पब एंड लाउंज में प्रीमियम एम्बियंस, स्वादिष्ट व्यंजन और बेहतर सेवा की सुविधा दी जा रही है।

### मेडिफर्स्ट हॉस्पिटल बना भरोसेमंद स्वास्थ्य केंद्र

**रांची।** मेडिफर्स्ट हॉस्पिटल ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपने सफल दो वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों, चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और सहयोगियों का आभार जताया। निदेशक डॉ. अंकुर सौरव, डॉ. कुमार विशाल और डॉ. अंशु अग्रवाल ने कहा कि संस्थान भविष्य में भी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से समाज की सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।

मेडिफर्स्ट हॉस्पिटल ने अपने सफल दो वर्ष पूरे किए। इस अवसर पर शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में डॉ. अंकुर सौरव, डॉ. कुमार विशाल और डॉ. अंशु अग्रवाल।

# मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को गंभीरता से लें अधिकारी : के. रवि

**रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो।** मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जरूरी बिंदु पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी आदेश पारित करते समय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन हो। वह शनिवार को निर्वाचन सदन से निर्वाचन पदाधिकारियों को पीपीटी के जरिये मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण पर प्रशिक्षण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 20 जून से राज्य में प्रिंटिंग व ट्रेनिंग का कार्य किया जाना है। इस क्रम में ससमय सभी स्तर पर पदाधिकारियों, बीएलओ और बीएलओ सुपरवाईजर की ट्रेनिंग बताई गई समय सारणी का अनुसरण करते हुए सुनिश्चित कराएं।

उन्होंने कहा कि 30 जून से बीएलओ घर–घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म बांटेंगे, उससे पूर्व सभी बीएलओ को फॉर्म भरने और विगत की मतदाता सूची से मैपिंग करने की पूरी जानकारी उपलब्ध रहे।

### ईआरओ व एईआरओ की रहेगी महत्वपूर्ण भूमिका

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए सभी विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ व एईआरओ को भी ऑनलाइन पीपीटी से प्रशिक्षण दिया। कहा कि एसआईआर में ईआरओ और एईआरओ की भूमिका अहम है। बीएलओ व बीएलओ सुपरवाईजर द्वारा एसआईआर के क्रम में किए जा रहे कार्यों को सत्यापित करने की पूरी जवाबदेही ईआरओ और एईआरओ की होती है। एसआईआर में ईआरओ व एईआरओ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही कार्य सुनिश्चित करेंगे।

# कार्बाइड मुक्त आम खरीदने का आज आखिरी अवसर

**रांची, वरीय संवाददाता।** राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से झारखंड राज्य सहकारी बैंक मुख्यालय परिसर में आयोजित तीन दिवसीय आम महोत्सव का रविवार को समापन हो जाएगा। इससे पहले दोनों दिन बड़ी तादाद में लोग यहां कार्बाइड मुक्त आमों की खरीदारी करते दिखे।

लोगों ने विभिन्न वेरायटी के आमों की खरीदारी की। साथ ही यहां बिक्री किए जा रहे कई अन्य उत्पाद भी खरीदे। वहीं, रविवार को राजधानीवासियों के लिए कार्बाइड-मुक्त आम खरीदने का अंतिम अवसर है। बता दें कि महोत्सव में उपलब्ध आम और अन्य कृषि उत्पाद नाबार्ड समर्थित ट्राइब्स परियोजनाओं से जुड़े जनजातीय किसानों द्वारा उत्पादित किए गए हैं।

### दस प्रकार के आचार समेत कई उत्पाद बेचे जा रहे

दशहरी, मल्लिका, मालदा, गुलाबखास, नीलम, अम्रपाली और हिमसागर समेत कई लोकप्रिय किस्मों के आम बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के आचार, हनी, मड़ुआ, पाकुड़ के ऑर्गेनिक काजू, हल्दी, जामुन का सिरका, जामुन पाउडर समेत कई उत्पाद उपलब्ध हैं। महोत्सव के पहले दिन बड़ी संख्या में लोग प्राकृतिक तौर पर पकाए गए आमों की खरीदारी करते दिखे। वहीं, इसके साथ ही महोत्सव में उपलब्ध सामानों की भी खरीदारी करते दिखे।

# फर्जी यूपीआई भुगतान करने वाला गिरफ्तार

**रांची।** लोअर बाजार थाना की पुलिस ने ब्रैटी दुकान में फर्जी तरीके से यूपीआई के जरिए पैसा भुगतान कर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम हिमांशु कुमार पासवान है और वह गिरिडीह का रहने वाला है। इस मामले में दुकानदार ने लोअर बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

बताया जा रहा है कि मेन रोड स्थित एक बैट्री दुकान में जून माह में आरोपी ने एक बैट्री ली। दुकानदार को यूपीआई से पैसे भुगतान करने का प्रूफ मोबाइल पर दिखाया। इसके बाद बैट्री लेकर आरोपी फरार हो गया। दुकानदार को कुछ देर बाद यह जानकारी मिली कि आरोपी राशि का भुगतान किए बिना ही चला गया है।

# युवक को रस्सी से बांधकर पीटा, केस

**रांची।** रांची के दर्जी मुहल्ला निवासी मो अर्श और उसके परिवारवालों के साथ मारपीट की गई। इस संबंध में मो इरशाद खान ने इम्तियाज समेत अन्य के विरुद्ध डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है।

**स्टंप से किया प्रहार:** पुलिस को बताया कि उनका पुत्र मोहम्मद अर्श शुक्रवार की शाम गली से गुजर रहा था। इसी दौरान इम्तियाज समेत अन्य ने उनके पुत्र को रस्सी बांधकर घर के भीतर ले जा रहा था। विरोध करने पर आरोपियों ने उन पर विकेट से हमला किया। इस घटना में उनकी आंख के पास गंभीर चोट लगी है। इसके बाद वह थाना पहुंचे और इस संबंध में मामला दर्ज कराया।

# बालाजी मोबाइल स्टोर में सैमसंग पर ऑफर

**रांची।** किशोरगंज चौक स्थित सैमसंग एक्सक्लूसिव बालाजी मोबाइल स्टोर ने ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर्स की घोषणा की है। यहां सैमसंग की प्रीमियम एस-सीरीज पर 25 हजार और ए-सीरीज के चुनिंदा मॉडल्स पर 10 हजार रुपये तक का लाभ मिल रहा है। स्टोर प्रबंधन के अनुसार, विभिन्न मॉडल्स पर यूपीआई कैशबैक और क्रेडिट कार्ड ऑफर्स भी उपलब्ध हैं। ग्राहकों की सुविधा के लिए कई हैंडसेट जीरो डाउन पेमेंट पर दिए जा रहे हैं।

## जिला समादेष्टा का कार्यालय, झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, राँची।

### आवश्यक सूचना

निदेशानुसार राँची जिलान्तर्गत विज्ञापन संख्या–01/2025 के तहत वैसे पुरूष एवं महिला अभ्यर्थी जो शहरी तकनीकि दक्ष में ऑनलाईन (Online) आवेदन समर्पित किये है एवं शारीरिक एवं लिखित जॉच परीक्षा में सफल हुए है तदोपरान्त समादेष्टा, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, धुर्वा, राँची में निर्धारित तिथि को अपने ट्रेड तकनीकि दक्ष परीक्षा में सम्मिलित हुए है वैसे सभी पुरूष/महिला अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवेदन में जो दस्तावेज/कागजात (Online) समर्पित किये है वे अपने मूल दस्तावेज प्रमाण–पत्र दिनांक–23.06.2026 से 27.06.2026 तक अपने ट्रेड से संबंधित निर्धारित तिथि को समादेष्टा, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, धुर्वा, राँची में उपायुक्त, सह–जिला दण्डाधिकारी का आदेश ज्ञापांक–1139 दिनांक–19.06.2026 के द्वारा गठित समिति के समक्ष मूल प्रमाण–पत्र के साथ भौतिक रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी एवं उनको कोई दुसरा अवसर नही दिया जायेगा। साथ ही वैसे अभ्यर्थी जिनका प्रमाण–पत्र अवैध/फर्जी पाया जायेगा उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवायी की जायेगी।

| ट्रेड का नाम | महिला/पुरूष अभ्यार्थी | दिनांक | निर्धारित स्थल एवं समय |
|---|---|---|---|
| आई0टी0आई0, | पुरूष अभ्यर्थी | 23.06.2026 | समादेष्टा, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, धुर्वा, राँची में सुबह 10.00 बजे से संध्या 5.00 बजे तक |
| कम्पयुटर एवं अभियंता | पुरूष अभ्यर्थी | 24.06.2026 | समादेष्टा, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, धुर्वा, राँची में सुबह 10.00 बजे से संध्या 5.00 बजे तक |
| कुक, दर्जी, माली, नाई, पनभर, धोबी, बढ़ई, पेन्टर, झाडुकश, अमीन, योगा प्रशिक्षक, नर्स, चालक, बिजली मिस्त्री, पलम्बर आदि | पुरूष | 25.06.2026 | समादेष्टा, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, धुर्वा, राँची में सुबह 10.00 बजे से संध्या 5.00 बजे तक |
| सभी ट्रेड | महिला अभ्यर्थी | 27.06.2026 | समादेष्टा, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, धुर्वा, राँची में सुबह 10.00 बजे से संध्या 5.00 बजे तक |

**इसे अति आवश्यक समझे।**

ह0/–जिला समादेष्टा
झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, राँची।

PR: 382900 (Ranchi) 26-27

## प्रपत्र VI 'क'
## झारखण्ड सरकार
## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (भू–अर्जन निदेशालय) या समाहर्त्ता या समुचित सरकार

### प्रारंभिक अधिसूचना (अधिनियम–30/2013 की धारा–11(1) के अधीन)

संख्या– 532/भू0अ0, रामगढ़, दिनांक 04/06/2026

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि मौजा मुरमुटा, थाना नं0 08, राजस्व थाना गोला, जिला रामगढ़ में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा रजरप्पा–धोबियाजारा (3 पुल सहित) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2015–16 हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि मौजा मुरमुटा, थाना नं0 08, राजस्व थाना गोला, अंचल गोला, जिला रामगढ़ में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.48 एकड़ यानि 0.0161 हेक्टेयर मानक माप का अर्जनाधीन भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :–

| क्र0 सं0 | खाता सं0 | सर्वे भूखंड सं0 | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में) | हितबद्व व्यक्ति का नाम व पता | सीमा (भूखंड सं0) उ0 | द0 | पू0 | प0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 83 | रैयती | टाँड | 0.08 | डेगला महतो पिता दिलु महतो वो सुखलाल माहतो पिता स्व0 पोलो महतो वो मुनेष्वर पिता रीचक महतो वो मुरेष्वर महतो तुलसी महतो पिता रोचक महतो वो अन्य | प्लॉट 83 | प्रस्तावित रास्ता | मौजा मुरपा | प्लॉट 91 |
| 2 | 9 | 93 | रैयती | टाँड | 0.40 | डेगलाल महतो पिता दिलु महतो वो सुखलाल माहतो पिता स्व0 पोलो महतो वो मुरेष्वर महतो तुलसी महतो पिता रीचक महतो वो जयकिषोर महतो भागीरथ महतो पिता स्व0 मनसु महतो वो अन्य | प्लॉट 93 | प्रस्तावित रास्ता | प्लॉट 92 | प्लॉट 95 |
| | | | | कुल रकवा | 0.48 | | | | | |

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़ के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह– समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यो के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यो के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़ और संबंधित राजस्व कर्मचारी, गोला अंचल को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्व अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नही करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अन्दर भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्व व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़ के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

ह०/– कानूनगो, रामगढ़। ह०/– जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़। ह०/– अपर समाहर्त्ता, रामगढ़। ह०/– उपायुक्त, रामगढ़।

PR 382852 (Land Reforms)26-27*D

## प्रपत्र VI 'क' झारखण्ड सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (भू–अर्जन निदेशालय) या समाहर्त्ता या समुचित सरकार प्रारंभिक अधिसूचना (अधिनियम–30/2013 की धारा–11(1) के अधीन)

संख्या– 533/भू0अ0, रामगढ़, दिनांक 04/06/2026

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि मौजा जोभिया, थाना नं0 10, राजस्व थाना गोला, अंचल गोला जिला रामगढ़ में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा नया मोड़–चैनपुर–रजरप्पा (MDR-102 पर) पथ के कि0मी0 0.00 से 36.083 का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (पुलों एवं पुलियों का निर्माण कार्य सहित) वर्ष 2016–17 हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि मौजा जोभिया, थाना नं0 10, राजस्व थाना गोला, अंचल गोला जिला रामगढ़ में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0. 57 एकड़ यानि 0. 2306 हेक्टेयर मानक माप का अर्जनाधीन भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :–

| क्र0 सं0 | खाता सं0 | सर्वे भूखंड सं0 | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में) | हितबद्व व्यक्ति का नाम व पता | सीमा (भूखंड सं0) उ0 | द0 | पू0 | प0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 455 | रैयती | आवासीय टांड–III | 0.27 | खिरोधर बेदिया महंगु बेदिया पिता राथो बेदिया षि बु बेदिया राजकुमार बेदिया पिता रामेष्वर बेदिया वो गुड़ बेदिया पिता टेकलाल बेदिया वो विषुन बेदिया पिता लालजी बेदिया यदुनाथ बेदिया दिनेष सिकेनदर पिता शंकर बेदिया वो सोहन बेदिया पिता स्व0 अभिराम बेदिया दुलाल बेदिया बिनोद रमेष पिता गणेष बेदिया वो बदु बेदिया बुधन सुधन पिता धर्मा बेदिया ललकु बेदिया कपिल देव बेदिया पिता जगदीष वो बालेष्वर बेदिया पिता रामसाय बेदिया मटनु बेदिया दुखन बेदिया कुन्ती देवी पति विषेष्वर वो फुलसाय बेदिया वो धनु बेदिया बैजनाथ पिताालसाय बेदिया वो कजरू जलेष्वर पिता महलु बेदिया वो पचु बेदिया पिता नान्हु बेदिया रोहित बेदिया पिता विगल एतवा पिता जागो सुखदेव बेदिया पिता कन्दवा बेदिया | प्लॉट 455 का शेष | प्लॉट 455 का शेष | रजरप्पा रोड | प्लॉट 456 |
| 2 | 18 | 456 | रैयती | टांड–III | 0.30 | मनेश्वर मांझी पिता रीधु मांझी वो सामलाल मांझी पिता खडे वो मोहरलाल मांझी पिता रचका मांझी वो मनीराम मांझी पिता सानु मांझी वो महेष मांझी चैतु मांझी पिता धनु मांझी फागु मांझी शनिचर मांझी पिता बिरसाय मांझी वो भुनेष्वर मांझी पिता होरी मांझी वो महावीर मांझी जयवीर मांझी पिता दुखु मांझी वो ईष्वर मांझी पिता सुखु मांझी षिवा मांझी रेसा देवी पति लालु मांझी मनु कुमार बेसरा पिता स्व0 मंगल मांझी टुनका मांझी रामजी मांझी पिता अकल मांझी जीतराम मांझी प्रकाश मांझी मिथुन मांझी पिता रीतलाल मांझी वो मेहीलाल मांझी अघनु म झी पिता रामफल मांझी वो सीताराम मांझी पिता छोटवा मांझी। | प्लॉट 456 का शेष | प्लॉट 456 का शेष | प्लॉट 455 | प्लॉट 460 |
| | | | | कुल रकवा | 0.57 | | | | | |

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़ के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यो के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यो के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़ और संबंधित राजस्व कर्मचारी, गोला अंचल को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्व अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नही करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अन्दर भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्व व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़ के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

ह०/– कानूनगो, रामगढ़। ह०/– जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़। ह०/– अपर समाहर्त्ता, रामगढ़। ह०/– उपायुक्त, रामगढ़।

PR 382850 Land Reforms(26-27)D

## जिला पशुपालन कार्यालय, कोडरमा

### –: आम सूचना :–

सरकार के सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची के राज्यादेश सं० – 07 रा० (वि०) दिनांक 05.06.2026 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य के छोटे एवं सीमान्त किसानों को खेती करने के लिए बैल की आवश्यकता तथा कृषि कार्य में उन्नति लाने के उद्देश्य से Castrated नर बाछाओं का जोड़ा बैल के रूप में राज्य के सुदुरवर्ती क्षेत्रों में वितरण करने की योजना है, जिससे कि किसानों को कम लागत में खेती कार्य में सहयोग हो सके तथा अधिक मुनाफा हो सके। जोड़ा बैल वितरण योजना के संचालन हेतु कोडरमा जिला में जनजातीय क्षेत्र उपयोजनान्तर्गत कुल 29 भौतिक लक्ष्य प्राप्त है। जिसका ग्राम सभा द्वारा चयन किया जाना है। ग्राम सभा की अनुशंसा के साथ पूर्ण वितरण सहित आवेदन संबंधित प्रखण्डों के प्रखण्ड स्तरीय समिति के माध्यम से अनुशंसा के साथ जिला पशुपालन पदाधिकारी, कोडरमा के नाम से आंमत्रित किया जाता है।

**पशुपालन प्रभाग की योजना :–**

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | लक्ष्य 90 % | प्रस्तावित कुल राशि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 01 | जोड़ा बैल वितरण योजना | 29 | 40,000.00 | बी०पी०एल० क्षेणी के वैसे लाभुक जिनके पास खेती योग्य भूमि हो। (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/आदिम जनजाति एवं दिव्यांग जनों को चयन में प्रथमिकता दी जायेगी।) |

उपरोक्त योजना के लिए लाभुक चयन हेतु अहर्त्ता एवं शर्ते :–

- लाभुक झारखण्ड का किसान (स्थानीय निवासी) हो।
- योजना का लाभ BPL कोटि के श्रेणी के सभी महिला, पुरुष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आदिम जनजाति एवं दिव्यांग) जनों को प्राथमिकता के आधार पर चयन नियमानुसार किया जायेगा।
- सभी योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों का चयन प्रखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा के उपरांत उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति द्वारा अंतिम रूप से चयन किया जायेगा।
- चयनित ग्रामों में लाभुकों का चयन संबंधित ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा, चयन प्रक्रिया में निम्न बातों का पालन करना अनिवार्य है:–

1. चयनित लाभुक स्थानतीय निवासी हो, इस संबंध में लाभुक को आवासीय जाती प्रमाण पत्र एवं आधार संख्या एवं बैंक खाता संख्या का जमा करना अनिवार्य होगा।
2. चयन प्रक्रिया में लाभुक के पास खेती योग्य भूमि हो।
3. वैसे लाभुकों जिसे पूर्व में राज्य या केन्द्रीय योजना का लाभ मिल चुका है, उन्हे योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
4. योजना के अन्तर्गत योजना अनुदान 90 प्रतिशत पर संचालित होगी। लाभुक को 10 प्रतिशत राशि अपने स्तर से जमा देना होगा।
5. अनुदान की राशि नियमानुसार चयनित लाभुकों के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से हस्तांतरित किया जायेगा।
6. इच्छुक पशुपालक अपना आवेदन आवश्यक कागजात के साथ संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी के पास जमा करेंगे।

निवेदक
जिला पशुपालन पदाधिकारी,
कोडरमा

PR 382848 Agriculture,Animal Husbandry And Co-opretive Department(26-27)#D

## बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

**बैंक ऑफ बड़ौदा, बुटी मोड शाखाः**
प्रथम तल्ला, शिवाजी चौक, मेन मार्केट एरिया, राँची–834012, झारखण्ड
अनुबंध-सी

### अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना ''अनुबंध–IV–ए (अधिनियम 6 (2) एवं 8 (6) के प्रावधान देखें)

सिक्युरिटी इंटेरेस्ट (इनफोर्समेंट) नियम 2002 के अंतर्गत 6 (2) एवं 8 (6) की धारा के साथ पठित प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूमिकरण और पूर्णगठन एवं सिक्युरिटी इंटेरेस्ट अधिनियम 2002 के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु नीलामी बिक्री सूचना। आम लोगों को तथा विशेष रूप से भाग लेने वाले और प्रत्याभूति दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित प्रतिभूति के पास गिरवी है उसका कब्जा बैंक ऑफ़ बड़ौदा के अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित प्रतिभूति, द्वारा ले लिया गया है, उसे अधोवर्णित खाताओं की वसूली हेतु **''जहाँ है, जैसा है, जो कुछ भी है, जो भी वहाँ है के आधार पर''** बेचा जायेगा। ऋणी / यों / बंधककर्त्ता/ओं / जमानतदार/रों / सुरक्षित सम्पत्ति/याँ / बकायों / सुरक्षित मूल्य /ई–नीलामी की तारीख और समय, ईएमडी और बोली बृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है।

| क्र. सं. | उधारकर्ता / ऋणकर्ताओं / गारंटर/ बंधककर्ताओं का नाम और पता | सुरक्षित परिसंपत्तियों / बंधक संपत्ति का विवरण | कुल बकाया / ई–नीलामी की तारीख और समय / प्रारंभ समय से अंत समय | सुरक्षित मूल्य / ईएमडी जमा / बोली बृद्धि राशि | कब्जे की स्थिति (रचनात्मक / भौतिक) / सम्पत्ति निरीक्षण की तारीख और समय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **श्रीमती तृप्ति सिंह पत्नी स्व० संजीव कुमार सिंह** (उधारकर्ता के रूप में साथ ही स्वर्गीय संजीव कुमार सिंह की कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में) **1. सुश्री शताक्षी सिंह 2. सुश्री ओमाक्षी सिंह** (स्वर्गीय संजीव कुमार सिंह की कानूनी उत्तराधिकारी एवं प्राकृतिक और कानूनी अभिभावक के तौर पर) **पता:** देवी निवास, सेनेटोरियम रोड, बागीचा टोली, हटिया, रांची, झारखण्ड, पिन–834003 | आवासीय जमीन भवन के साथ जिसका सभी अंश एवं भाग जिसका खाता संख्या 38, प्लॉट संख्या 755, उप प्लॉट संख्या 755/भाग है जिसका क्षेत्रफल 06 डिसिमल है जो मौजा – तुपुदाना, थाना – धुर्वा, थाना संख्या 267, जिला – रांची में स्थित है जो तृप्ति सिंह, पत्नी संजीव कुमार सिंह के नाम से है जिसका सेल डीड संख्या 24414/21221 दिनांक 24.12.2009 है एवं खाता संख्या 38, प्लॉट संख्या 755, उप प्लॉट संख्या 755/भाग है जिसका क्षेत्रफल 01 डिसिमल है जो मौजा – तुपुदाना, थाना – धुर्वा, थाना संख्या 267, जिला – रांची में स्थित है जो तृप्ति सिंह, पत्नी संजीव कुमार सिंह के नाम से है जिसका सेल डीड संख्या 1424/1355 दिनांक 17.11.2016 है। **सम्पत्ति की चौहद्दी : उत्तर** – विजय कुमार टोप्पो की सम्पत्ति, **दक्षिण** – निज, **पूरब** – 20 फीट की चौड़ी सड़क, **पश्चिम में** – अन्य की सम्पत्ति. | **Rs. 1,47,74,273.46/-** (रूपये एक करोड़ सैंतालीस लाख चौहत्तर हजार दो सौ तेहत्तर एवं पैसे छियालीस मात्र) माँग पत्र के अनुसार दिनांक 09.10.2025 से ब्याज एवं खर्चे एवं बकाया राशि दिनांक 14.06.2026 तक **Rs. 1,58,18,879.68/-** (रूपये एक करोड़ अंठावन लाख अठारह हजार आठ सौ उनासी एवं अड़सठ पैसे मात्र) (प्लस लागत एवं खर्चे सहित) **दिनांक 07.07.2026 दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक** | Rs. 1,68,56,100.00 / Rs. 16,85,610.00 / Rs. 1,68,560.00 | भौतिक कब्जा / दिनांक 06.07.2026 को सुबह 10:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक |

विक्रय की सभी शर्तें एवं दशाएं के लिए कृपया हमारे वेबसाईट लिंक **https://www.bankofbaroda.in/e-auction** एवं **https://baanknet.com** पर जायें / देखें। साथ ही प्रस्तावित बोलीकर्त्ता प्राधिकृत अधिकारी के मोबाईल सं **9165226557** पर सम्पर्क कर सकते हैं।

**दिनांक : 18.06.2026**
**स्थान : रांची**

**नोट : विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।**

**ह0/– प्राधिकृत अधिकारी**
**बैंक ऑफ बड़ौदा**